तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

सन्दर्भ सं०
Ref. No. 2809/ रि० पत्रिका - 35/20

दिनांक 25/2/20
Dated : 20

Ref. No. Date: -

To,

The Deputy Registrar (Judicial)
National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi-110001

Subject:- Hon'ble NGT order dated 01-11-2019 (O.A.No.919/2019) in the matter of Bal Bahadur Singh Vs. State of Uttar Pradesh before NGT, Principal Bench, New Delhi.

Hon'ble Sir,

That the Hon'ble NGT has pass Following order in OA no.919/2019 on dated 01/11/2019.

".... Grievance in this application is that there is encroachment of ponds by Nilansh Group in Village Tikri Kalan and Village Badaiya Pargana, Tehsil Malihabad, District Lucknow, Uttar Pradesh.

Let the District Magistrate, Lucknow and the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The SPCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

A copy of this order, along with compliant, be sent to the District Magistrate, Lucknow and the SPCB by e-mail for compliance.

Needless to say that order of National Green Tribunal is binding as a decree of Courts and non compliance is actionable by way of punitive action including prosecution, in terms of the National Green Tribunal Act-2010

With respect is stated that in compliance of order mentioned above the Uttar Pradesh Pollution Control Board has complied with the aforesaid order on 01-11-2019. In accordance to the compliance of order passed by the Hon'ble NGT the District Magistrate Lucknow constituted a committee of Sub-Divisional Magistrate Malihabad and Regional Officer UPPCB Lucknow on dated 18-11-2019. Joint committee report of Sub-Divisional Magistrate Malihabad and Regional Officer UPPCB Lucknow is annexed and filed by Regional Officer UPPCB Lucknow On dated 14-01-2020. In continuation of in compliance of above order an action taken report is provided by ADM (Administration) District Lucknow by his letter on dated 12-02-2020 in the case of T-201910460103098 and T-201910460103096 under section-67 was decided by the court of Tehsildar, Malihabad District Lucknow, which is annexed here with this letter for your kind perusal.

With Regards,

Lucknow
Dated: -

(Dr. Ram Karan)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
PICUP Bhawan, Gomti Nagar,
Lucknow

13/2/20

अत्यावश्यक / महत्वपूर्ण / तत्काल।

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

संख्याः 7059 / एसटी–एडीएम(ई0) / 2020 दिनांक फरवरी 12 2020

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

कृपया उप जिलाधिकारी मलिहाबाद लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 316 / एसटी / पूरक आख्या / एनजीटी / 2019 दिनांक 12.02.2020 (मूल रूप में संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तहसीलदार मलिहाबाद न्यायालय द्वारा वाद संख्या टी–201910460103098 एवं वाद संख्या टी–201910460103096 अंतर्गत धारा 67–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 की प्रतियॉ एवं अन्य सुसंगत आख्या / अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गये हैं।

उक्त के अनुक्रम में उप जिलाधिकारी मलिहाबाद लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आख्या मय अभिलेखीय साक्ष्यों सहित इस आशय से प्रेषित है कि विषयाकिंत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2019 के समादर में अग्रेत्तर कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।(मूल रूप में)

13/02/2020
(अमर पाल सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
लखनऊ।

प्रतिलिपि–उप जिलाधिकारी मलिहाबाद लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
लखनऊ।

AEE(A)
कृपया मा. NGT एवं बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही कराये
13/2/2020

कार्यालय उप जिलाधिकारी मलिहाबाद, लखनऊ

संख्या 316 /एसटी/पूरक आख्या/एनजीटी/2019 दिनांक 12 फरवरी, 2020

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
लखनऊ।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 2075/एनजीटी/ओए नम्बर 919/2019 दिनांक 18 नवम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01–11–2019 को पारित आदेश के समादर में ग्राम टिकरी कला व ग्राम बदैंया, परगना व तहसील मलिहाबाद, लखनऊ स्थित तालाब खाते में दर्ज भूमियों पर कथित अनाधिकृत कब्जे की जॉच हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व टीम मलिहाबाद से प्रकरण की अभिलेखीय व स्थलीय जॉच करायी गयी तथा जॉच आख्या पत्रांक 193/एसटी/जॉच/एनजीटी/2019, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से महोदय को प्रेषित की गयी है।

उक्त जॉच आख्या के कम में महोदय को सादर अवगत कराना है कि नीलांश ग्रुप द्वारा अतिकमित तालाब के खाते में दर्ज भूमि से अतिक्रमणकर्ता उपरोक्त को न्यायालय तहसीलदार मलिहाबाद के समक्ष योजित वाद संख्या टी201910460103098 एवं टी201910460103096 अन्तर्गत धारा–67, उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के माध्यम से बेदखल कर दिया गया है तथा मौके पर भी नीलांश ग्रुप द्वारा किये गये अवैध अध्यासन को हटा कर अतिकमित तालाब भूमि तक जन सामान्य के आवागमन हेतु रास्ता खोलवा दिया गया है।

पूरक आख्या/एटीआर मय समस्त संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः 1– पूर्व प्रेषित जॉच आख्या की छायाप्रति।
2– न्यायालय तहसीलदार मलिहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 की की छाया प्रति।
3– तहसीलदार मलिहाबाद की आख्या।
4– मौके के फोटोग्राफ्स

उप जिलाधिकारी
मलिहाबाद, लखनऊ

7052/ADM(E)

12/02/2020

श्री ... प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
कृपया विचाराधीन प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

कार्यालय उप जिलाधिकारी मलिहाबाद, लखनऊ

संख्या 193 /एसटी/जॉच/एनजीटी/2019 दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
लखनऊ।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र संख्या 2075/एन.जी.टी./ओ0.ए. नम्बर/919/2019 दिनांक 18 नवम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 919/2019 में पारित आदेश दिनांक 01..11.2019 को उदधृत करते हुए प्रार्थी बाल बहादुर निवासी–जी0–24 आदर्श कालोनी कल्यानपुर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2019 के क्रम में ग्राम टिकरी कला व बदैंया परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ स्थित तालाब खाते में दर्ज भूमियों पर कथित अनाधिकृत कब्जे की स्थलीय व अभिलेखीय जॉच कर सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में तहसील स्तर पर गठित राजस्व टीम एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम टिकरी कला व बदैंया परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 198, 243, 04, 208, 193, 235 की अभिलेखीय व स्थलीय जॉच की गयी । जॉचोपरान्त आख्या निम्नवत हैः–

ग्राम टिकरी कला स्थित गाटा संख्या 198/0.003 व 243/0.063 व 04/0.086 व 208/0.069 व 193/0.152 व 235/0.066 राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में अंकित है (संलग्नक–1)। स्थलीय निरीक्षण से विदित हुआ कि गाटा संख्या 198/0.003 व 208/0.069 व 235/0.066 पूर्णतया वर्तमान में गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र में समाहित है। गाटा संख्या 243/0.063 का सम्पूर्ण भाग नीलांश ग्रुप द्वारा निर्मित बाउण्ड्रीवाल के अन्दर कर लिया गया है। उक्त गाटा वर्तमान में तालाब के स्वरूप में न होकर समतल भूमि के रूप में है तथा मौके पर रिक्त है व कोई निर्माण कार्य नहीं है। गाटा संख्या 193/0.152 का आंशिक भाग भी नीलांश ग्रुप द्वारा निर्मित बाउण्ड्रीवाल के भीतर है व शेष भाग गोमती नदी के प्रवाहित क्षेत्र में सम्मिलित है। उक्त गाटे के नीलांश ग्रुप के सीमा के भीतर का भाग रिक्त है। गाटा संख्या

Received 28/12/19 SA
Regional Office
U.P. Pollution Control Board
Lucknow
2029/1845

4/0.086 टिकरी कलॉ की आबादी के पास स्थित है तथा नीलांश ग्रुप की बाउण्ड्रीवाल से बाहर लगभग 01 कि0मी0 दूर है (संलग्नक–2 व 2क)।

उल्लिखित तालाब खाते में दर्ज कोई भी गाटा में से ग्राम बदैंया परगना व तहसील मलिहाबाद में स्थित नहीं है (संलग्नक–3)। ग्राम बदैंया में स्थित तालाब गाटा संख्या 1041/ 1.037 पूर्णतया नीलांश ग्रुप की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर है, जिसका 10 वर्षीय मत्स्य पालन हेतु आवंटन ग्राम पंचायत बदैंया द्वारा सन्तू पुत्र रिक्खी निवासी खजहापुरवा मजरा टिकरी कला को दिनांक 23.02.2016 को किया गया था। दिनांक 19.03.2017 को आवंटी सन्तू पुत्र रिक्खी की मृत्यु हो गयी है, जिसके संबंध में श्रीमती शान्ती पत्नी स्व0 सन्तू नि0 खजहापुरवा मजरा टिकरी कला द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त तालाब पर उसके द्वारा लगातार मत्स्य पालन किया जा रहा है। तालाब तक आने–जाने में कोई बाधा नहीं होती है (संलग्नक–4 व 5)।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम टिकरी कला की गाटा संख्या 186/0.253 जो नदी के नाम अंकित है। नीलांश ग्रुप की बाउण्ड्री के अन्दर है। ग्राम बदैया स्थित नदी गाटा संख्या 995/0.582 व 996/0.013 व 971/0.645 फार्म हाउस से घिरे हुये हैं स्थल पर खाली है (संलग्नक–6 व 7)। नीलांश ग्रुप द्वारा अतिक्रमित तालाब व नदी के नाम दर्ज भूमियों से बेदखली हेतु धारा–67, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार मलिहाबाद में वाद दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है (संलग्नक–8 व 9)। गोमती नदी अपने वर्तमान प्रवाह में ग्राम बदैंया के गाटा 944/1.030, 947/0.741, 955/1.930, 957/0.944,979/0.395, 980/0.196, 981/0.335, 1002/0.259, 1003/0.405, 1009/0.481, 1007/0.398, 1005/0.111, 1006/0.152, 1078/1.093, 1080/0.142, 1081/1.163 व ग्राम टिकरी कलां के गाटा संख्या 171/0.120, 172/0.246, 178/0.063, 179/0.228, 180/0.180, 181/0.104, 184/0.132, 189/0.038, 190/0.174, 191/0.006, 192/0.028,193/0.152, 194/0.455, 195/0.785, 197/0.278, 198/0.002, 199/0.025, 200/0.091, 201/0.079, 202/0.147, 203/0.112, 205/0.158, 206/0.038, 207/0.073, 208/0.069, 230/0.069, 231/0.177, 232/0.288, 233/0.202, 234/0.303, 235/0.066, 237/0.089, 238/0.190, 239/0.132, 240/0.139, 241/0.218, 242/0.063, 245/0.215, 246/0.362, 247/0.089, 248/0.117, 249/0.114, 250/0.101, 251/0.291, 252/0.114, 253/0.114, 257/0.106, 258/0.132 संतोष श्रीवास्तव, सतीश

श्रीवास्तव पुत्रगण स्व0 जे0एन0 श्रीवास्तव निवासीगण सी0–4141 राजाजीपुरम लखनऊ व मदन लाल रावत पुत्र ास्व0 राधे लाल रावत निवासी बंगला बाजार लखनऊ आदि खातेदारो की भूमि में आंशिक एवं पूर्ण भाग में प्रवाहित हो रही है ा(संलग्नक–10)

वर्तमान में गोमती नदी अपने मूल प्रवाह क्षेत्र को छोड़कर (जो ग्राम बदैंया के नक्शे पर अंकित है) पूर्व उल्लिखित अन्य भूमि जो काश्तकारों की भूमिधरी की भूमि है, पर प्रवाहित है (संलग्नक–11 व 12)। ग्राम बदैंया के राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 1022स/3.705 हे0 नदी अंकित है, परन्तु सीमावर्ती ग्राम अकड़रिया कलां तहसील बख्शी का तालाब के रकबे में भी नदी का पूर्व प्रवाह स्थल नक्शे पर एवं अभिलेखों में अंकित है, इस प्रकार नदी के नाम अंकित गाटा संख्या 1022स/3.705 हे0 स्थित ग्राम बदैंया, ग्राम अकड़रिया कला में भी दर्ज होने के कारण भ्रामक स्थिति मौके पर बनी हुई है। ग्राम अकड़रिया कलां वर्तमान में चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत है। मौके पर उपस्थित चकबन्दी स्टाफ द्वारा प्रश्नगत नदी का रकबा ग्राम अकड़रिया कलां का बताया जा रहा है तथा जिसमें ग्राम अकड़रिया कलां में काश्तकारों के चक बनाये गये हैं, जिसमें से आंशिक भूमि नीलांश ग्रुप द्वारा कय करके अपने रिजार्ट में सम्मिलित कर लिया है, जिसके सम्बन्ध में उचित माध्यम द्वारा सक्षम स्तर से नदी के मूल क्षेत्रफल के पुनर्स्थापन हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः प्रकरण में उल्लिखित अतिकमित सार्वजनिक भूमियों पर न्यायालय तहसीलदार मलिहाबाद के न्यायालय में प्रचलित वाद अन्तर्गत धारा–67 के निस्तारणोपरान्त न्यायालय के आदेश के कम में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आख्या अग्रिम व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

(क्षेत्रीय अधिकारी)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी,
मलिहाबाद, लखनऊ

महोदय,

आप के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 10-02-2020 को वाद संख्या T201910460103098 गांव सभा बनाम नीलांश प्रापर्टीज द्वारा निदेशक सन्तोष श्रीवास्तव अन्तर्गत धारा 67 अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के तहत गाटा संख्या 971 रकबा 0.645 हे० 995 रकबा 0.582 हे० 996 रकबा 0.013 हे० स्थित ग्राम बैरसा प० तह० मोहनलालगंज जनपद लखनऊ जो कि नदी के नाम दर्ज अभिलेख है, तथा वाद संख्या T201910460103096 गांव सभा बनाम नीलांश प्रापर्टीज द्वारा निदेशक सन्तोष श्रीवास्तव अन्तर्गत धारा 67 अधि० उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के तहत ग्राम टिकरीकला प० तह० मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 193 रकबा 0.152 व 243 रकबा 0.063 हे० जो कि तालाब व गाटा संख्या 186 रकबा 0.253 हे० जो कि नदी अंकित अभिलेख है के बेदखली के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त भूमियों से नीलांश ग्रुप द्वारा किये गये अवैध अध्यासन को स्थल पर हटवा दिया गया है, तथा ग्राम टिकरीकला स्थित तालाब गाटा संख्या 193, 243 ~~[illegible]~~ व ग्राम बैरसा स्थित तालाब गाटा संख्या 1041 का रास्ता खुलवा दिया गया है, वर्तमान में उक्त तालाबों तक आवागमन खुला हुआ है। स्थलीय फोटो ग्राफ संलग्न है, आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

MGT

[signature]
बैरसा
10-2-2020

[signature]
10.2.2020

Surendra
लेखपाल
10.2.2020

[signature]
10/2/2020
R.I.

अग्रसारित
[signature]
10.02.2020
NT(M)

नोटिस

नीलांश प्रापर्टीज द्वारा
निदेशक श्री सन्तोष श्रीवास्तव,
श्री सतीश श्रीवास्तव पुत्रगण
श्री जे0एन0 श्रीवास्तव

वाद संख्या टी 201910460103096 व टी 201910460103098, टिकरी कलां/बदैंया गांव सभा बनाम नीलांश प्रापर्टीज में उ0प्र0 जमी0 विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधि0 की धारा 122ब/67 राजस्व संहिता 2006 (3) के अन्तर्गत दिनांक 20.01.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में ग्राम के गाटा संख्या 193, 243 तालाब व नदी के गाटा संख्या 186, 971, 995, 996 से एक सप्ताह के अन्दर अपना पूर्ण कब्जा हटा ले। अन्यथा बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया जायेंगा तथा अतिक्रमण पर आरोपित अर्थदण्ड का 1/8 भाग भी अतिरिक्त रूप से देय होगा।

दिनांकः– 05/02/2020

राजस्व निरीक्षक (मड़वाना)
तहसील मलिहाबाद

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखनऊ,तहसील :मलिहाबाद
वाद संख्या :-03098/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910460103098
गावसभा बनाम नीलाश प्रापर्टीज दवारा निदेशक सन्तोष श्रीवास्तव
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ की गयी । वाद दर्ज कर प्रतिवादी को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी । जो बाद तामीला शामिल मिसिल है। प्रतिवादी की ओर से आपत्ति दाखिल नही की गयी है। आज प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही है। गांवसभा की ओर से नामिका अधिवक्ता उपस्थित। जिनकी बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। लेखपाल की आख्या दिनांक 07.12.2019 में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम बदैंया परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ की गाटा संख्या 971 रकबा 0.645हे0 व 995 रकबा 0.582हे0 व 996 रकबा 0.013हे0 कुल तीन किता रकबा 1.240हे0 जो नदी में अंकित है जिस पर प्रतिवादी के द्वारा कब्जा कर लिया है। जिससे गांवसभा को मु0–74400/रू0 की क्षति हुई है। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया है। नामिका अधिवक्ता की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोंकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को गांवसभा की सुरक्षित भूमि से बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति आयद किया जाना न्याय संगत है।

आदेश

अतः ग्राम–बदैंया परगना व तहसील मलिहाबाद लखनऊ की गाटा संख्या 971 रकबा 0.645हे0 व 995 रकबा 0.582हे0 व 996 रकबा 0.013हे0 कुल तीन किता रकबा 1.240हे0 से प्रतिवादी नीलांश प्रापर्टीज द्वारा निदेशक सन्तोष श्रीवास्तव व सतीश श्रीवास्तव पुत्र जे0 एन0 श्रीवास्तव निवासी 4343 से0 13 राजाजीपुरम शहर लखनऊ को बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति मु0–74400/–रूपये एवं निष्पादन व्यय मु0–1000/रू0 से आरोपित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो

20/01/2020

दिनांक–20.01.2020

(निखिल शुक्ल)
असि0कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
तहसीलदार मलिहाबाद
लखनऊ।

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखनऊ,तहसील :मलिहाबाद
वाद सख्या :-03096/2019
कंप्यटरीकत वाद सख्या :-T201910460103096
गासभा बनामे नीलाश प्रापटीज दवारा निदेशक सन्तोष श्रीवास्तव
अतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ की गयी । वाद दर्ज कर प्रतिवादी को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी । जो बाद तामीला शामिल मिसिल है। प्रतिवादी की ओर से आपत्ति दाखिल नही की गयी है। आज प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही है। गांवसभा की ओर से नामिका अधिवक्ता उपस्थित। जिनकी बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। लेखपाल की आख्या दिनांक 07.12.2019 में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम टिकरीकला परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ की गाटा संख्या 186 रकबा 0.253हे0 व 193 रकबा 0.152हे0 व 243 रकबा 0.063हे0 कुल तीन किता रकबा 0.368हे0 जो नदी गोमती में अंकित है जिस पर प्रतिवादी के द्वारा कब्जा कर लिया है। जिससे गांवसभा को मु0–22080/रू0 की क्षति हुई है। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया है। नामिका अधिवक्ता की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोंकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को गांवसभा की सुरक्षित भूमि से बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति आयद किया जाना न्याय संगत है।

आदेश

अतः ग्राम–टिकरी कला परगना व तहसील मलिहाबाद लखनऊ की गाटा संख्या 186 रकबा 0.253हे0 व 193 रकबा 0.152हे0 व 243 रकबा 0.063हे0 कुल तीन किता रकबा 0.368हे0 से प्रतिवादी नीलांश प्रापर्टीज द्वारा निदेशक सन्तोष श्रीवास्तव व सतीश श्रीवास्तव पुत्र जे0 एन0 श्रीवास्तव निवासी 4343 से0 13 राजाजीपुरम शहर लखनऊ को बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति मु0–22080/–रूपये एवं निष्पादन व्यय मु0–1000/रू0 से आरोपित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो

20/01/2020

दिनांक–20.01.2020

(निखिल शुक्ल)
असि0कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
तहसीलदार मलिहाबाद
लखनऊ।